निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 857) पटना, शुक्रवार, 31 जुलाई 2015

सं0 2/रेगु0–2–7003—1695
गन्ना उद्योग विभाग

———————

संकल्प
24 जुलाई 2015

विषयः–**राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों का पेराई वर्ष 2014–15 के बकाये ईख मूल्य भुगतान के लिए चीनी मिलों द्वारा राष्ट्रीकृत बैंको से कुल 203.50 करोड़ रूपये तक लिये जाने वाले ऋण के लिए छः वर्षो में देय ब्याज की राशि मो० 77.22 करोड़ रूपये (सतहत्तर करोड़ बाईस लाख रूपये) को राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने की स्वीकृति।**

चीनी की कीमतों में हो रहे लगातार अप्रत्याशित गिरावट के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही चीनी उद्योग के माध्यम से राज्य के ईख उत्पादक किसानों उनके पेराई सत्र 2014–15 के बकाये ईख के मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य की चीनी मिलों/राज्य से क्षेत्र आरक्षण के माध्यम से गन्ना क्रय करनेवाली चीनी मिलों द्वारा बैंको से प्राप्त किये जाने वाले ऋण के निमित्त सरकार के स्तर से निम्नांकित शर्तो पर ब्याज की राशि के भुगतान करने पर निर्णय लिये गये हैः–

(i) राज्य की चीनी मिलें/राज्य से गन्ना क्रय करनेवाली चीनी मिलों द्वारा अपने संसाधन/सम्पत्ति के विरूद्ध सिर्फ राष्ट्रीकृत बैंकों से ही इस योजना अन्तर्गत ऋण प्राप्त किये जायेंगे। इस ऋण की प्राप्ति एवं इसकी अदायगी में सरकार की कोई गारंटी या सहभागिता नहीं होगी।

(ii) इस योजना अन्तर्गत पेराई सत्र 2014–15 में मिलवार क्रय किये गये गन्ने के विरूद्ध 35रू०/क्विंटल तक ऋण प्राप्त करने की अधिसीमा रहेगी। तद्नुसार सामेकित ऋण की अधिकतम् सीमा 581.45 लाख क्विंटल x 35 रू०/किंवटल = 203.50 करोड़ रूपया होगी।

(iii) उपरोक्त के अनुरूप राज्य की चीनी मिलों द्वारा मिलवार लिए गये ऋण पर सरकार के द्वारा छः वर्षो तक निम्नांकित दर पर संबंधित राष्ट्रीकृत बैंको को त्रिमासिक/वार्षिक रूप में सूद का भुगतान किया जायेगा।

(क) प्रथम वर्ष–2015–16 (Moratorium period) के लिए सरकार के स्तर से ऋण के लिए अनुमान्य सूद या 12% सूद दोनों में से जो कम हो, भुगतान किये जायेंगे।

(ख) द्वितीय वर्ष से छटठे वर्ष (2016–17 से 2020–21) तक सरकार के स्तर से ऋण के लिए अनुमान्य सूद से 2 प्रतिशत कम सूद का भुगतान किया जायेगा परन्तु, उसकी अधिकतम् सीमा 10% तक सीमित रहेगी।

(iv) 20 जुलाई, 2015 से 30 अक्टूबर, 2015 की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा लिये गये ऋण पर ही सरकार के स्तर से सूद की राशि का भुगतान किया जा सकेगा। ऋण प्राप्ति की सूचना संबंधित मिल द्वारा तत्समय विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्राप्त ऋण राशि को एक अलग खाता में संधारित कर उसका उपयोग पेराई सत्र 2014–15 के बकाये ईख मूल्य भुगतान मद में करते हुए संबंधित ईख पदाधिकारी के माध्यम से पूर्ण भुगतान प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

(v) इस योजना के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा लिये गये ऋण का संबंधित मिलों द्वारा 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से द्वितीय वर्ष से छटठे वर्ष के अंत तक पूर्ण अदायगी करनी होगी।

(vi) वर्षवार निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप यदि छः वर्ष के अन्दर लिए गये ऋण का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा नहीं किया जाता है तो default के आगे की अवधि के लिए सूद का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा।

(vii) चीनी मिलों द्वारा लिए गये ऋण पर प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व निर्धारित 20% ऋण की राशि की वापसी करते हुए किये गये भुगतान से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उस वर्ष के अन्तिम त्रिमासिक/वार्षिक सूद एवं आगे के निर्धारित वर्षो के लिए सूद का भुगतान किया जा सकेगा। मिलों द्वारा प्रत्येक वर्ष लगने वाले त्रिमासिक/वार्षिक सूद की राशि का संबंधित राष्ट्रीकृत बैंको से गणना कराकर विभाग को प्रतिवेदन सहित मांग पत्र उपलब्ध कराना होगा, जिससे कि संबंधित बैंक को ससमय अनुमान्य सूद की राशि का सरकार द्वारा भुगतान किया जा सके।

(viii) प्राप्त ऋण से गन्ना कृषकों के बकायो के भुगतान की प्रक्रिया एवं सूद भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में गन्ना उद्योग विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(ix) इस योजना के कार्यान्वयन पर वर्षवार ब्याज की संभावित देयता निम्नवत् प्रस्तावित है :–

	वर्ष	ब्याज की राशि (करोड़ रू० में)
(i)	प्रथम वर्ष–2015–16 (Moratorium period का आठ माह का सूद)	16.28
(ii)	द्वितीय वर्ष–2016–17 (साल के अन्त में ऋण की 20% राशि वापस किये जाने की स्थिति में) (पूर्ण 203.5 करोड़ रूपये पर ब्याज)	20.35
(iii)	तृतीय वर्ष–2017–18 (साल के अन्त में 40% राशि वापस किये जाने की स्थिति में) (162.80 करोड़ रूपये पर ब्याज)	16.28
(iv)	चतुर्थ वर्ष–2018–19 (साल के अन्त में 60% राशि वापस किये जाने की स्थिति में 122.10 करोड़ रूपये पर ब्याज)	12.10
(v)	पंचम वर्ष–2019–20 (साल के अन्त में 80% राशि वापस किये जाने की स्थिति में 81.40 करोड़ रूपये पर ब्याज)	8.14
(vi)	छठा वर्ष–2020–21 (साल के अन्त में सम्पूर्ण राशि वापस किये जाने की स्थिति में 40.70 करोड़ रूपये पर ब्याज)	4.07
	कुल ब्याज की राशि–	**77.22 करोड़**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 857-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in